राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक :प.6(23)प्र.सु./अनु.–3/1999 जयपुर, दिनांक : 05 APR 2023

–::आदेश::–

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किये गये राज्य सेवा के लोकसेवकों के निलम्बन से बहाली के प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु समसंख्यक आज्ञा दिनांक 13.06.2022 के अतिक्रमण में राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य स्तरीय पुनर्विलोकन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन/शासन सचिव, गृह	सदस्य
3.	महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्वयं अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर से निम्न स्तर का न हो	सदस्य
4.	संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक	सदस्य सचिव

समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में आयोजित की जायेगी तथा समिति आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित लोक सेवकों की बहाली के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक/क–3/शिका/97 दिनांक 22.03.2023 के अनुसरण में प्रकरणों की समीक्षा कर अपनी अनुशंषा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा राज्य सरकार प्रत्येक प्रकरण के संबंध में तथ्यों एवं गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
9. शासन संयुक्त सचिव/शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Munni Meena
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2023.04.05 11:12:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3519189

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक :प.6(23)प्र.सु./अनु.–3/1999 जयपुर, दिनांक : 05 APR 2023

–::आदेश::–

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणों में राज्य सरकार से भिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निलम्बित किये गये राज्य सेवा के लोकसेवकों के साथ–साथ विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं के लोक सेवकों के निलम्बन से बहाली के प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.01.2011, 30.06.2020 एवं 13.06.2022 के अतिक्रमण में राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य स्तरीय पुनर्विलोकन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	संबंधित विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा मनोनीत अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न स्तर का ना हो	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक द्वारा मनोनीत संयुक्त/उप शासन सचिव अथवा समकक्ष अधिकारी	सदस्य
4.	विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य सचिव

समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में आयोजित की जायेगी तथा समिति आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित लोकसेवकों की बहाली के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक/क–3/शिका/97 दिनांक 22.03.2023 के अनुसरण में प्रकरणों की समीक्षा कर अपनी अनुशंषा प्रशासनिक सचिव को प्रस्तुत करेगी जो प्रत्येक प्रकरण के संबंध में तथ्यों एवं गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लेंगे।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. शासन संयुक्त सचिव/शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Munni Meena
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2023.04.05 11:12:56 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक :प.6(23)प्र.सु. / अनु.–3 / 1999 — जयपुर, दिनांक : 05 APR 2023

–::आदेश::–

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो / पुलिस द्वारा पंजीबद्व आपराधिक प्रकरणों में निलम्बित किये गये मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के लोक सेवकों के निलम्बन से बहाली के प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.01.2011 एवं 30.06.2020 के अतिक्रमण में राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विलोकन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
2	महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो / पुलिस द्वारा मनोनीत अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न स्तर का ना हो	सदस्य
3.	विभागाध्यक्ष कार्यालय की संस्थापन शाखा का प्रभारी अधिकारी	सदस्य सचिव

समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में आयोजित की जायेगी। समिति आपराधिक प्रकरणो में निलम्बित लोक सेवकों की बहाली के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक / क–3 / शिका / 97 दिनांक 22.03.2023 के अनुसरण में प्रकरणों की समीक्षा कर अपनी अनुशंषा करेगी। विभागाध्यक्ष समिति की अनुशंषा को प्रशासनिक विभाग के अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को प्रस्तुत करेंगे जो कि समिति अनुशंषा तथा गुणावगुण के आधार पर निलम्बित लोकसेवक की बहाली बाबत् समुचित निर्णय लेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल महादेय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो / पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो / पुलिस।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलेक्टर्स / जिला पुलिस अधीक्षक।
9. समिति से संबंधित समस्त सदस्यगण।
10. शासन संयुक्त सचिव / शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3 / शिकायत) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature valid
Digitally signed by Munni Meena
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2023.04.05 11:12:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3519189